न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री भंवर लाल मेहरा, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील एल.आर. संख्या 171/2008/(2008/00009) जिला–नागौर

1. सोदरा देवी पत्नी चुन्नी लाल
2. हनुमान बगस पुत्र चुन्नीलाल
   सभी जाति महाजन निवासी माण्डेली तहसील व जिला नागौर।

———अपीलार्थीगण

बनाम

1. गोरधन पुत्र बेजुलाल जाति महाजन निवासी माण्डेली तहसील व जिला नागौर।
2. ग्राम पंचायत जोधियासी जरिये सरपंच ग्राम पंचायतजोधियासी तहसील व जिला नागौर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, नागौर।

————प्रत्यर्थीगण

———

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956,
विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी नागौर दिनांक 20–06–2008
अन्तर्गत अपील संख्या 23/2007
बउनवान गोरधन बनाम सोदरा देवी व अन्य

————

उपस्थित– 1. श्री गिरीश पारीक, अभिभाषक अपीलार्थी
2. श्री पुष्पेन्द्र सिंह, अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट संख्या–1

निर्णय

दिनांकः 02–05–2022

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण ने अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि मौजा माण्डेली में स्थित खातेदारी आराजियात खसरा नम्बर 82/19 रकबा 16.08 है जो कि अपीलार्थीगण के सगे बड़े भाई हजारी मल उर्फ हजारी राम पुत्र बेजूलाल निवासी माण्डेली के नाम थी जो कि अविवाहित था अपीलार्थी के बड़े भाई हजारी लाल का देहान्त दिनांक 8–6–2002 को हो गया। हजारीराम की मृत्यु के पश्चात सरपंच ग्राम पंचायत जोधियासी द्वारा नामान्तरकरण

संख्या 123 दिनांक 20–7–2007 विधिक वारिसानों के नाम तस्दीक किया गया। उक्त नामान्तरकरण संख्या 123 के विरूद्ध गोरधन द्वारा उपखण्ड अधिकारी, नागौर के समक्ष अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अपीलार्थी के बड़े भाई हजारी राम ने एक वसीयतनामा लिखकर उक्त विवादित आराजीयात का मालिक बतौर वसीयत बनाया तथा घोषित किया कि मेरी मृत्यु के पश्चात मेरी बंट कब्जे काश्त खातेदारी के उक्त खेत का मालिक मेरा छोटा भाई गोरधन राम होगा। मौजा माण्डेली के खसरा नम्बर 82/19 का नामान्तरकरण संख्या 123 ग्राम पंचायत जोधियासी ने दिनांक 20–7–2007 को रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 के नाम भर दिया। जिसकी जानकारी होने पर अपीलार्थी ने नामान्तरकरण संख्या 123 दिनांक 20–7–2007 के विरूद्ध एक अपील उपखण्ड अधिकारी, नागौर के समक्ष की। अधिनस्थ न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनकर अपने आदेश दिनांक 20–6–2008 के द्वारा अपीलार्थी की अपील खारिज कर दी तथा नामान्तरकरण संख्या 123 को भी खारिज कर तहसीलदार नागौर को प्रकरण प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये कि स्व0 हजारीमल के समस्त उत्तराधिकारी जो ग्राम पंचायत जोधियासी की बैठक कार्यवाही दिनांक 20–7–2007 के प्रस्ताव संख्या 2 में अंकित है, के नाम पुनः म्यूटेशन स्वीकृत किया जावे। उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील Subject-to-limitation दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थीगण को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये तथा संबंधित अभिलेख मंगवाया गया। दोनो पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

अभिभाषक अपीलार्थीगण द्वारा मियाद अधिनियम की धारा–5 पर अपीलार्थीगण की ओर से पक्ष रखते हुए कथन किया गया कि उपखण्ड अधिकारी, नागौर के आदेश दिनांक 20–6–2008 के आदेश की सूचना दिनांक 8–8–2008 को न्यायालय में उपस्थित होने पर हुई। अपीलार्थी दिनांक 14–7–2008 को अपने अधिवक्ता से सम्पर्क किया जिन्होंने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नागौर के आदेश केखिलाफ अपील करने की सलाह दी। अपीलार्थी ने नागौर जाकर अधीनस्थ न्यायालय केआदेश की प्रमाणित प्रति के लिए दिनांक 15–7–2008 को आवेदन किया जिसकी नकल दिनांक 17–7–2008 को प्राप्त हुई। इसके बाद अपीलार्थी ने अपने गांव जाकर धन की व्यवस्था कर अजमेर आकर बिना किसी देरी के यह अपील दायर की। अपील जानकारी दिनांक से समय सीमा के अन्दर प्रस्तुत की गई है। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुआ विलम्ब सद्भाविक कारणों के रहते हुआ है, इस कारण देरी को क्षमा किया जाकर प्रस्तुत अपील को अन्दर मियाद किये जाने हेतु निवेदन किया।

प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपीलार्थीगण के अधिवक्ता की मियाद के बिन्दु पर बहस का जवाब देते हुए निवेदन किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत मियाद अधिनियम की धारा–5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया जावे। मियाद हेतु छूट चाहने बाबत कोई ठोस कारण अंकित नहीं किया गया है। मियाद में छूट चाहने बाबत ठोस कारण अंकित करने चाहिए थे। मियाद में छूट चाहने हेतु प्रतिदिन बाबत संतोषजनक कारण अंकित किया

जाना चाहिए। इस प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत मियाद के छूट के प्रार्थना पत्र में ऐसा नहीं किया गया है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलार्थीगण के मियाद के बिन्दु पर दिये गये तर्कों तथा प्रत्यर्थीगण अभिभाषक के जवाब पर गौर किया एवं इसी संबंध में माननीय उच्च न्यायालय एवं राजस्व मण्डल द्वारा समय–समय पर प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार प्रकरण की मेरिट पर विचार करना कानून एवं विधि की मांग होने से अभिभाषक अपीलार्थीगण द्वारा बहस के दौरान मियाद अधिनियम की धारा–5 के तहत प्रस्तुत वास्तविक स्थिति के मध्येनजर प्रकरण प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा किया जाता है।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान कथन किया कि ग्राम पंचायत जोधियासी द्वारा प्रस्ताव संख्या 2 पारित कर नामान्तरकरण संख्या 123 दिनांक 20–7–2007 स्वीकृत किया है। हजारी राम की मृत्यु के बाद प्रतिवादी गोरधन ने उपखण्ड अधिकारी नागौर के समक्ष अपील पेश की जिसमें हजारी राम ने दिनांक 7–6–2002 को 10/– रूप्यें का स्टाम्प खरीदा गया। हजारी राम जिसकी मृत्यु दिनांक 8–6–2002 को हो चुकी थी। हजारीराम द्वारा लिखी वसीयत की प्रति अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश की गई थी जिसकी अधीनस्थ न्यायालय ने जांच की जिसमें वसीयत की वैधता को संदिग्ध माना गया। जिसके आधार पर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नागौर द्वारा नामान्तरकरण संख्या 123 को यथावत रखना चाहिए था। अधीनस्थ न्यायालय ने नामान्तरकरण संख्या 123 को गलत तरीके से खारिज कर प्रकरण तहसीलदार नागौर को रिमाण्ड कर ग्राम पंचायत के प्रस्ताव संख्या 2 मे उल्लेखित सभी नामों को बुलाया जाए और उनकानाम नामान्तरकरण में दर्ज किया जाये इसलिए नामान्तरकरण संख्या 123 को अलग रखा गया था। उपखण्ड अधिकारी द्वारा अधिकार क्षैत्र से बाहर जाकर आदेश पारित किया है। अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष नामान्तरकरण को चुनौती नहीं दी थी। अतः उपखण्ड अधिकारी नागौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 20–7–2008 निरस्त योग्य है।

उन्होंने यह भी कथन किया कि प्रत्यर्थी संख्या 1 गोरधन द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नागौर के समक्ष हजारीराम द्वारा लिखित वसीयत की एक फोटो प्रति प्रस्तुत की थी। वसीयतकर्ता श्री हजारीराम का देहान्त दिनांक 8–6–2002 को हो गई थी। रेस्पोन्डेन्ट गोरधन के पक्ष में निष्पादित वसीयत 10/– रूपये के स्टॉम्प पर दिनांक 7–6–2002 को लिखी गई थी जिसके अवलोकन से स्पष्ट है कि हजारीमल उर्फ हजारीराम का स्वर्गवास दिनांक 8–6–2002 को हुआ था तथा वसीयत नामा निष्पादित करने हेतु 7–6–2002 को खरीदा जाकर उसी दिन वसीयतनामा स्व0 हजारीमल द्वारा लिखा गया। हजारीमल उर्फ हजारीराम द्वारा अपनी मृत्यु से एक दिन पूर्व वसीयत निष्पादित की है, वसीयतनामें पर साक्ष्य स्वरूप गवाहों के नाम अंकित है जिन पर उनके पिता का नाम व पूरा पता भी अंकित नहीं है जो संदेहास्पद प्रतीत होती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार नागौर को प्रकरण गलत तरीके से रिमाण्ड

करने के निर्देश दिये थे ताकि उन लोगों के नाम मे नामान्तरकरण को प्रमाणित किया जा सके जिन्होंने नामान्तरकरण को चुनौती नहीं दी थी तथा उनको पक्षकार नहीं बनाया गया था। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर उपखण्ड अधिकारी, नागौर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20–6–2008 निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक की उक्त बहस के जवाब में रेस्पोन्डेन्ट के अभिभाषक ने बहस के दौरान कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी के भाई स्व0 हजारी लाल ने अपीलार्थी के हक में विवादग्रस्त आराजियात की वसीयत कर दी थी जिसके आधार पर ग्राम गोरेरा की कृषि भूमि का नामान्तरकरण अपीलार्थी के नाम स्वीकृत हो गया था। उक्त तथ्य को नजरअंदाज कर अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो निरस्त योग्य है।

उन्होंने यह भी तर्क दिया कि अधिनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश में वसीयतनामे को संदेहास्पद प्रतीत होना माना है जो उनके अधिकार क्षेत्र से परे है किसी भी वसीयत के सही एवं गलत होने का निर्णय करने का अधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है बल्कि दीवानी न्यायालय को है फिर भी इस महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दु को नजर अन्दाज कर अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत वसीयतनामें को अपंजीकृत वसीयत मानते हुए साक्ष्य में ग्राह्य योग्य नहीं माना जबकि वसीयत को पंजीकृत कराना कानून में कहीं आवश्यक नहीं है वसीयत मृतक की अंतिम इच्छा होती है जो सादे पेपर पर भी लिखी जा सकती है। राजस्थान में कृषि भूमि के संबंध में निष्पादित की गई कोई भी वसीयत को पंजीकृत कराने या प्रोबेट लेने की आवश्यकता नहीं है फिर भी इस तथ्य को नजरअन्दाज कर अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो निरस्त योग्य है।

बहस के दौरान उन्होनें यह भी कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी की अपील खारिज कर दी । अधिनस्थ न्यायालय ने प्लीडिंग व रिलीफ से बाहर जाकर जो नामान्तरकरण अन्य व्यक्तियों के नाम नामान्तरकरण स्वीकृत करने का आदेश दिया है वह विधिविपरीत है। प्रस्तुत प्रकरण में हजारी मल के वारिसों ने कोई अपील प्रस्तुत नहीं की और न ही किसी ने अपीलार्थी के हक में हुई वसीयत का विरोध ही किया। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नागौर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 20–6–2008 व नामान्तरकरण संख्या 123 दिनांक 20–7–2007 को निरस्त किये जाने एवं वसीयत अनुसार विवादग्रस्त आराजियात खसरा नम्बर 82/19 पर प्रत्यर्थी संख्या 1 के हक में नामान्तरकरण स्वीकृत करने हेतु निवेदन किया गया।

मैंने दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की सुनी बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया तथा संबंधित अभिलेख का अवलोकन व अध्ययन किया जिसके अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि सरपंच ग्राम पंचायत जोधियासी को ग्राम सभा में प्रस्ताव लेकर सर्वसम्मति से नामान्तरकरण स्वीकृत करने का अधिकार है।

सरपंच ग्राम पंचायत ने प्रस्ताव लेकर नामान्तरकरण संख्या 123 स्वीकृत किया था। अपीलार्थी का कथन है कि हजारीमल उर्फ हजारी राम पुत्र बेजूलाल निवासी माण्डेली अविवाहित था तथा प्रत्यर्थी संख्या 1 के साथ बतौर उत्तराधिकारी रहता था। हजारीमल उर्फ हजारीराम के बंट कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 82/19 रकबा 16.08 बीघा मौजा माण्डेली में स्थित था तथा अन्य खेत खसरा नम्बर 394 रकबा 39 बीघा में हजारीमल के सहखातेदारी के खेत थे। प्रत्यर्थी संख्या –1 के बड़े भाई हजारीमल का देहान्त दिनांक 8–6–2002 को हो गया। हजारीमल उर्फ हजारीराम ने प्रत्यर्थी संख्या 1 गोरधन के पक्ष में एक वसीयतनामा निष्पादित किया जिसमें उल्लेखित किया गया कि मेरी मृत्यु के पश्चात मेरे बंट कब्जे काश्त खातेदारी के उक्त खेताय का एक मात्र मालिक मेरा छोटा भाई गोरधन होगा। वसीयतनामा पर गवाहों व अपने भाईयों के भी हस्ताक्षर कराये गये लेकिन वसीयतनामा रजिस्टर्ड नहीं है।

यहां यह उल्लेखनीय है कि हजारीमल उर्फ हजारीराम ने एक वसीयतनामा अपने जीवनकाल में प्रत्यर्थी संख्या–1 के हक में निष्पादित किया। प्रत्यर्थी संख्या 1 विवादग्रस्त आराजियात का मालिक होते हुए भी ग्राम पंचायत जोधियासी ने खसरा नम्बर 82/19 का नामान्तरकरण अपीलार्थी संख्या 1 व 2 के पक्ष में स्वीकृत कर दिया जबकि वसीयतनामे के आधार पर ग्राम पंचायत को प्रत्यर्थी संख्या 1 के नाम नामान्तरकरण स्वीकृत करना चाहिए था। प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा दस रूपये के स्टॉम्प पर लिखित वसीयतनामा दिनांक 7–6–2002 की फोटो प्रति पत्रावली पर उपलब्ध है। जिसके अवलोकन से स्पष्ट है कि हजारीमल उर्फ हजारीराम का स्वर्गवास दिनांक 8–6–2002 को हुआ था तथा वसीयत नामा निष्पादित करने हेतु 7–6–2002 को खरीदा जाकर उसी दिन वसीयतनामा स्व0 हजारीमल द्वारा लिखा गया। हजारीमल उर्फ हजारीराम द्वारा अपनी मृत्यु से एक दिन पूर्व वसीयत निष्पादित की है, वसीयतनामें पर साक्ष्य स्वरूप गवाहों के नाम अंकित है जिन पर उनके पिता का नाम व पूरा पता भी अंकित नहीं है जो संदेहास्पद प्रतीत होती है। चूंकि नामान्तरकरण एक फिस्कल कार्यवाही है जिसमें किसी पक्षकार के हक हकूकों का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नागौर द्वारा प्रकरण का निस्तारण किसी एक के पक्ष में न कर प्रकरण को पुनः तहसीलदार, नागौर इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया है कि पक्षकारों का अलग–अलग नाम अंकित कर पुनः म्यूटेशन स्वीकृत करने के आदेश पारित किये है जो विधिसम्मत नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नागौर को तहसीलदार, नागौर को हजारीलाल उर्फ हजारीराम पुत्र बेजुलाल के समस्त विधिक वारिसानों की जांच कर साक्ष्य व सुनवाई का अवसर प्रदान कर नये सिरे से निर्णय पारित करने हेतु निर्देश देने चाहिए थे। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नागौर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 20–6–2008 विधिसम्मत नहीं होने से खारिज योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय (उपखण्ड अधिकारी) नागौर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 20–6–2008 अन्तर्गत

अपील संख्या 23/2007 बउनवान गोरधन बनाम सोदरा देवी व अन्य विधिसम्मत नहीं होने से खारिज किया जाता है और प्रकरण तहसीलदार, नागौर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे हजारीलाल उर्फ हजारीराम पुत्र बेजुलाल के समस्त विधिक वारिसानों की जांच कर उन्हें सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान कर नये सिरे से विधिसम्मत निर्णय पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 2–5–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भंवर लाल मेहरा)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर